सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु शासनादेश सं0 2762 / 15–13–91–4146 / 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991तथा शासनादेश संख्या–641 / **xxiv**–3 / 07 / 01(11) / 2007 दिनांक 26 जून, 2007 के अनुसार शर्तें–

1– संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।

2– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

3– संस्था द्वारा आवेदन शुल्क रूपये 50,000 / – राजकोष में जमा कराना होगा। आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त तक मान्य होगी, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को केवल प्रत्येक कलेण्डर मास या या उसके बाद के लिए रू0 100 / –(रू0एक सौ मात्र) का विलम्ब शुल्क भुगतान करने पर ही ग्रहण किया जायेगा, किन्तु 30 नवम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को सम्बन्धित शैक्षिक सत्र में स्वीकार नहीं किया जायेगी। ऐसे आवेदन पत्रों पर इससे आगामी सत्र में विचार किया जायेगा।

4– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय खोले जाने की उस क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकता है तथा उक्त विद्यालय को खोले जाने से अन्य विद्यालयों की छात्र संख्या पर कोई कुप्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

5– विद्यालय की सोसाइटी अद्यतन नवीनीकृत हो तथा उसका विधान इस प्रकार का हो कि सोसाइटी में किसी परिवार के एक ही व्यक्ति अथवा एक ही परिवार के सदस्यों का नियन्त्रण निहित न हो।

6– संस्था में कार्यरत प्रधानाचार्य स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि के साथ प्रशिक्षित होगें। साथ ही संस्था में कार्यरत अध्यापक भी उनके द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय में स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि के साथ प्रशिक्षित होगें।

7– संस्था में कार्यरत अध्यापकों / कर्मचारियों हेतु सेवा नियमावली बनाई जायेगी। साथ ही संस्था में कार्यरत अध्यापक / कर्मचारियों के कल्याणार्थ ई0पी0एफ0 योजना लागू करनी होगी।

8– विद्यालय के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन तथा अन्य भत्ते देने होगें।

9– संस्था में प्रत्येक अनुभाग के लिए मानकानुसार निर्धारित माप के कक्षा–कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, कार्यालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्टाफ रूम तथा भण्डार कक्ष अलग–अलग होने चाहिए।

10– भूमि/भवन विद्यालय के स्वामित्व में होना चाहिए।

11– संस्था के पुस्तकालय में कम से कम 1500 पुस्तकें होनी चाहिए।

12– कक्षा 6 से 8 तक की विज्ञान प्रयोगशाला में रू0 5,000/– तथा कक्षा 10 तक की विज्ञान प्रयोगशाला में रू0 8000/–की विज्ञान सामग्री होनी चाहिए।

13– संस्था में कम से कम रू0 10,000/– की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए।

14– संस्था में खेल कूद तथा संगीत सामग्री पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।

15– शुल्क अनुमन्य मदों में ही लिया जाये तथा काशनमनी/भवन शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

16– संस्था में सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि शमन उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

17– संस्था द्वारा उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों (**'क से ट'**) का पालन किये जाने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा–

क– उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/ सैण्ट्रल बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

ख– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ग– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

घ– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

ङ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता कौऊंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/ सैण्ट्रल बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

च–संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तें नहीं दिये जायेंगे।

छ–विद्यालय / संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

ज–राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

झ–विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ट–उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त शपथ पत्र के साथ–साथ निम्नांकित शपथ पत्र भी प्रेषित किये जायेंगे–

1–संस्था द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन किया जा रहा है और भविष्य में किया जाता रहेगा।
2–संस्था द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 का अनुपालन किया जा रहा है और भविष्य में किया जाता रहेगा।
3–संस्था द्वारा शुल्क में बृद्धि तीन वर्ष से पहले और दस प्रतिशत से अधिक नहीं की जायेगी।
4–संस्था द्वारा कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के पश्चात बचत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं की जायेगी।
5–संस्था की सोसाइटी में एक ही परिवार अथवा एक ही व्यक्ति का नियन्त्रण निहित नहीं है और सोसाइटी के सदस्यों में आपस में रक्त सम्बन्ध नहीं है।
6–संस्था द्वारा छात्र / छात्रओं अथवा अभिभावकों से काशनमनी / पुनः प्रवेश शुल्क नहीं लिया जायेगा साथ विद्यालय में एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यकम की पुस्तके लागू की जायेंगी।
7–संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याणार्थ ई0पी0एफ0 योजना लागू किये जाने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।
8–संस्था / स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE (Unified District Information System in Education) में संबधित मुख्या शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।